(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत दर्ज किये गये मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्र उपक्रमों फैक्ट्रियों, वाहनों, तेलशोधक कारखानों, इस्पात संयंत्रों के विरुद्ध प्रदूषण फैलाने के लिए मामले उक्त अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है, जिनके संदर्भ में न्यायालयों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में अथवा उनके विरुद्ध निर्णय दिये हैं; और

(ङ) 31 अक्तूबर, 1997 की तिथि के अनुसार विचारण हेतु लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

Conversion of Classified Forest Land in Andhra Pradesh

1060. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the extent of land permitted by Government to be converted from forest classification to non-forest classification in Andhra Pradesh in the last five years;

(b) the details of applications pending with Government from Andhra Pradesh;

(c) whether any time-bound rule for clearance is there; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) During last five years 3044.50 ha. of forest land had been permitted for diversion for non-forest purposes by the Ministry of Environment and Forests under Section-2 of Forest (Conservation) Act, 1980 in Andhra Pradesh.

(b) Twenty one applications are pending with this Ministry for forest clearance under Forest (Conservation) Act, 1980 from Andhra Pradesh.

(c) Yes, Sir.

(d) Under the Forest (Conservation) Act, 1980 guidelines, specific time limits have been prescribed for disposal of the proposals. As per these guidelines, the State Government should make efforts to dispose a reference at its level within a maximum period of 60 days. In respect of Central Government, these guidelines provide that cases, which are complete in all respects shall be disposed of within 90 days.

भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन, कोरबा के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उल्लंघन के मामले

1061. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन कोरबा के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें बोर्ड ने गंभीर आरोप लगाए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन के कार्यकरण के संबंध में संसदीय समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन, कोरबा के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बालको ने अपने एल्यूमिना, स्मैल्टर और फैब्रिकेशन संयंत्रों में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित की हैं। इस उद्योग ने अपने खनन और संयंत्र क्षेत्रों में लगभग 85000 वृक्ष लगाए हैं। उद्योग ने प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय